

बिहार सरकार  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-4 / निदेश०आ०वि०संघा०(वे०आ०)-46-02 / 2025-

299

प्रेषक,  
निदेशक।

सेवा में,  
संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी,  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक- 29.01.2026

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय अनुपूरक के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में यात्रा व्यय एवं संविदा सेवा मद में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि ₹48,38,729/- (अड़तालीस लाख अड़तीस हजार सात सौ उनतीस रु०) मात्र का आवंटन।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय अनुपूरक के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार राशि ₹48,38,729/- (अड़तालीस लाख अड़तीस हजार सात सौ उनतीस रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2- कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष-2025-26 में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0004-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष 0004.11.01-यात्रा व्यय, एवं 0004.28.02-संविदा सेवा मद में विपत्र कोड सं०-44-2225022770004 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया जाएगा।

7- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।।

विश्वासभाजन,

  
निदेशक।



ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-46-02 / 2025- 299 पटना, दिनांक - 29.01.2026

प्रतिलिपि:-संलग्न विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक।

द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्राप्तबद्ध व्यय अन्तर्गत अनुपू जगजात व जायसाल तलासत व सुभार व सुभार  
संधारणार्थ यात्रा व्यय एवं संविदा सेवा मदों में अधियाचित राशि की विवरणी

2225022770004

क्र० सं०	जिला	यात्रा व्यय (11.01)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल आवंटित राशि (क्रमांक 3से 4 तक का योग)
1	2	3	4	5
1	रोहतास	0	500000	500000
2	भभुआ	20000	2500000	2520000
3	प० चम्पारण	8500	750000	758500
4	जमुई	300000	350000	650000
5	कटिहार	0	160229	160229
6	पूर्णियां	250000	0	250000
	कुल योग	578500	4260229	4838729

कुल राशि (अड़तालीस लाख अड़तीस हजार सात सौ उनतीस रू०) मात्र

पत्रांक- 299

दिनांक- 29.01.2026 का अनुलग्नक

*[Signature]*  
निदेशक ।